

जनजातीय लोगों के जीवन यापन में आधारभूत कड़ी के रूप में वन संपदा का योगदान: कोंडागांव जिले के संदर्भ में एक अध्ययन

श्री - शैलू राम सोरी
शोधार्थी (अर्थशास्त्र विभाग)
शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव (छ०ग०)

सारांश

यह शोधपत्र कोंडागांव जिले के जनजातीय समुदायों के जीवन यापन में वन संपदा के योगदान का विश्लेषण करता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के इस जिले में 71% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, जिसका जीवन वनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अध्ययन बताता है कि वन संपदा न केवल आजीविका का साधन है, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संरचना और आर्थिक सुरक्षा की आधारशिला भी है। शोध में गैर-लकड़ी वन उत्पादों की भूमिका, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के प्रभाव, पर्यटन के उभरते अवसरों, और वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया है। निष्कर्ष बताते हैं कि वन संपदा और जनजातीय अर्थव्यवस्था के बीच का संबंध "आधारभूत कड़ी" से कहीं अधिक है यह एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां वनों का संरक्षण और जनजातीय कल्याण परस्पर निर्भर हैं। हालाँकि, अवसंरचनात्मक कमियाँ, नीतिगत कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और वनों पर बढ़ता दबाव इस संबंध को कमजोर कर रहे हैं।

शब्द कुंजी- कोंडागांव, जनजातीय, वन संपदा, NTFP, MSP योजना, वन अधिकार, सतत विकास

1. परिचय

1.1 शोध पृष्ठभूमि

भारत में जनजातीय समुदायों और वनों के बीच का संबंध सहस्राब्दियों पुराना है। वन केवल संसाधन का स्रोत नहीं हैं, बल्कि जनजातीय जीवन की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धुरी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, जिसका अधिकांश भूभाग सघन वनाच्छादित है, इस संबंध का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2012 में बस्तर जिले से अलग करके गठित कोंडागांव जिला, इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की 71.01% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति (ST) की है। यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो जिले में जनजातीय प्रधानता को दर्शाता है।

"कोंडागांव" नाम गोंडी भाषा के 'कोंडानार' से लिया गया है, जिसका अर्थ 'घोड़ों का गाँव' होता है। यह नामकरण ही इस क्षेत्र की गोंड जनजातीय विरासत की ओर संकेत करता है। जिला अपने धातु शिल्प (बेल मेटल) के लिए प्रसिद्ध है और इसे 'शिल्प शहर' भी कहा जाता है। हालाँकि, इसके साथ ही कोंडागांव घने वनों, जलप्रपातों और गुफाओं से भी समृद्ध है, विशेष रूप से केशकाल ब्लॉक में।

1.2 शोध प्रश्न और उद्देश्य

इस शोधपत्र का मुख्य प्रश्न है- कोंडागांव जिले के जनजातीय समुदायों के जीवन यापन में वन संपदा किस प्रकार आधारभूत कड़ी के रूप में कार्य करती है?

इस मुख्य प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित उप-प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है-

1. कोंडागांव जिले में मुख्य रूप से कौन-कौन से वन उत्पाद एकत्रित किए जाते हैं और उनकी आर्थिक उपयोगिता क्या है?

2. वन संपदा से प्राप्त आय जनजातीय परिवारों की कुल आय में कितना योगदान करती है?

3. MSP योजना और अन्य सरकारी पहलों का वनोपज व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है?
4. वन अधिकार अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन जिले में किस स्तर पर है?
5. वन संपदा पर निर्भरता के कारण जनजातीय समुदायों के सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

1.3 शोध पद्धति

यह अध्ययन माध्यमिक स्रोतों पर आधारित गुणात्मक और मात्रात्मक शोध है। निम्नलिखित स्रोतों से डेटा एकत्र किया गया है -

- शैक्षणिक जर्नल- Plant Archives में प्रकाशित NTFP पर विशेष अध्ययन
- सरकारी प्रकाशन- TRIFED, Ministry of Tribal Affairs के आंकड़े
- समाचार रिपोर्ट- The Economic Times, The Statesman, Down To Earth के लेख
- कानूनी दस्तावेज़- Forest Rights Act 2006 के प्रावधान और उनका विश्लेषण
- जिला स्तरीय आँकड़े- जनगणना 2011 के आंकड़े

2. कोंडागांव जिला का भौगोलिक और जनजातीय परिदृश्य

2.1 सामान्य परिचय

कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में स्थित है। इसका मुख्यालय कोंडागांव नगर में है। 24 जनवरी 2012 को इसे बस्तर जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। यह जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य, घने साल वनों, और अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है।

2.2 जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल जनसंख्या 578,824 है। इनमें से अनुसूचित जनजाति (ST) के कुल जनसंख्या 411,001 के साथ जिले की 71.01% है वही अनुसूचित जाति (SC) की कुल जनसंख्या 23,204 है जो कि 4.01% और जिले में शहरी जनसंख्या 57,983 है जो कि 10.02% है। जिले कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1033 महिलाओं का है, जो राज्य के औसत से बेहतर है। साक्षरता दर 57.31% है, जो चिंता का विषय है क्योंकि यह राष्ट्रीय औसत 74% से काफी नीचे है। यह निम्न साक्षरता दर वनोपज संग्रहण और मूल्य संवर्धन में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में बाधक हो सकती है।

2.3 भाषाई और सांस्कृतिक विविधता

जिले में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं-

| भाषा | बोलने वालों का प्रतिशत |
|--------------|------------------------|
| • हल्बी | 42.41% |
| • गोंडी | 28.04% |
| • छत्तीसगढ़ी | 22.20% |
| • हिंदी | 3.40% |
| • भतरी | 1.39% |

हल्बी और गोंडी की प्रधानता इस क्षेत्र की जनजातीय पहचान को मजबूत करती है।

2.4 वनाच्छादन और जैव विविधता

कोंडागांव सघन वनाच्छादित क्षेत्र है। केशकाल ब्लॉक में एक दर्जन से अधिक जलप्रपात और अनेक गुफाएँ पाई गई हैं। यहाँ के वन मुख्यतः साल के हैं, जिनमें बांस, महुआ, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, तेंदूपत्ता, और अनेक औषधीय पौधे पाए जाते हैं।

3. वन संपदा के प्रकार और आर्थिक उपयोगिता

3.1 गैर-लकड़ी वन उत्पाद

जनजातीय अर्थव्यवस्था में लकड़ी की तुलना में गैर-लकड़ी वन उत्पादों का योगदान अधिक है। **Plant Archives (2023)** में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कोंडागांव वन प्रभाग में निम्नलिखित NTFP एकत्रित किए जाते हैं कुछ प्रमुख NTFP की सूची और उनके उपयोग इस प्रकार से है -

| NTFP का नाम | उपयोग/व्युत्पन्न उत्पाद |
|-------------|---------------------------|
| ▪ हर्रा | - औषधि, डाई, टैनिन |
| ▪ बहेडा | - औषधि, हेयर ऑयल |
| ▪ इमली | - मसाला, पेय, औषधि |
| ▪ महुआ फूल | - मादक पेय, मिठाई, औषधि |
| ▪ सीड्स | - तेल निष्कर्षण, जैव ईंधन |
| ▪ तैदूपत्ता | - बीडी उद्योग |

3.2 तैदूपत्ता- 'हरित स्वर्ण' के नाम से प्रचलित

तैदूपत्ता को 'ग्रीन गोल्ड' या 'हरित स्वर्ण' के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। **The Statesman (2025)** की एक रिपोर्ट के अनुसार-10 लाख से अधिक वन-आश्रित परिवार तैदूपत्ता संग्रहण से जुड़े हैं, 902 प्राथमिक लघु वनोपद सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं, 10,631 संग्रहण केंद्र स्थापित हैं और 2025 में 10.84 लाख मानक बैग का संग्रहण किया गया जो कि कुल मूल्य ₹596 करोड़ और प्रति बैग समर्थन मूल्य ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 किया गया है यह वृद्धि जनजातीय परिवारों की आय में सीधा वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार 10 मानक बैग एकत्रित करता है, तो पहले ₹40,000 की आय अब ₹55,000 हो जाती है, जो लगभग 37.5% की वृद्धि है।

3.3 महुआ- संस्कृति और अर्थव्यवस्था का संगम

महुआ जनजातीय जीवन में विशेष स्थान रखता है। इसके फूलों से मादक पेय बनाया जाता है, जो सामाजिक-धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है। साथ ही, इससे जैम, सिरप और औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। महुआ के बीजों से तेल निकाला जाता है, जो जैव ईंधन और साबुन उद्योग में काम आता है। कोंडागांव के जनजातीय समुदायों के लिए महुआ संग्रहण और उसका विक्रय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.4 औषधीय पौधे और जैव विविधता

कोंडागांव के वन औषधीय पौधों का खजाना हैं। सफेद मूसली, कालमेघ, अश्वगंधा, और अनेक जड़ी-बूटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली (आयुर्वेद, स्थानीय चिकित्सा) में होता है। हाल के वर्षों में इनकी बाजार में माँग बढ़ी है, जिससे संग्रहणकर्ताओं को बेहतर मूल्य मिल रहे हैं।

4. आर्थिक परिदृश्य- MSP योजना और NTFP व्यापार

4.1 MSP योजना की पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने वनवासी समुदायों को उनके द्वारा एकत्रित वन उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए "लघु वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य" योजना शुरू की है। इस योजना का संचालन TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) करता है। यह योजना शोषणकारी मध्यस्थों की भूमिका को कम करती है और सरकारी खरीद सुनिश्चित करती है।

4.2 कोंडागांव में MSP योजना का प्रभाव

TRIFED (2026) के आँकड़ों के अनुसार, MSP योजना के कार्यान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रण है राज्य की कुल खरीद 20,270 मीट्रिक टन जिसका कुल मूल्य ₹52.80 करोड़ है, देश के राज्य के 33 जिलों में कुल खरीद ₹79.42

करोड़ केवल कोंडागांव जिला इस उपलब्धि का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ के वन प्रभाग में MSP योजना के तहत नियमित खरीद होती है।

Plant Archives के अध्ययन (2019-2022) में कोंडागांव वन प्रभाग में MSP योजना के तहत अनेक उत्पादों की खरीद किया गया जैसे हर्षा, बहेडा, इमली, साल बीज, महुआ फूल आदि अध्ययन बताता है कि उत्पादन और लाभार्थियों की संख्या में "महत्वपूर्ण भिन्नता" देखी गई जिसके लिए "निरंतर निगरानी" की आवश्यकता है।

4.3 आर्थिक योगदान का मूल्यांकन

एक सामान्य जनजातीय परिवार की वार्षिक आय का अनुमानित विवरण इस प्रकार है -

| आय का स्रोत | अनुमानित वार्षिक योगदान | प्रतिशत |
|---------------------------------|-------------------------|---------|
| • तेंदूपत्ता संग्रहण | ₹25,000 - ₹40,000 | 35-40% |
| • अन्य NTFP (महुआ, हर्षा, इमली) | ₹15,000 - ₹25,000 | 20-25% |
| • कृषि (झूम खेती/सीमित सिंचाई) | ₹10,000 - ₹20,000 | 15-20% |
| • मजदूरी (MGNREGA, अन्य) | ₹10,000 - ₹15,000 | 10-15% |
| • पर्यटन/हस्तशिल्प | ₹5,000 - ₹10,000 | 5-10% |

यह अनुमान स्पष्ट करता है कि वन संपदा (तेंदूपत्ता + NTFP) का योगदान 60-65% के बीच है, जो जनजातीय परिवारों की कुल आय में सबसे बड़ा हिस्सा है।

5. सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम

5.1 वनों का सांस्कृतिक महत्व

जनजातीय समुदायों के लिए वन केवल आर्थिक संसाधन नहीं हैं। यह उनकी पहचान, उनके देवी-देवताओं का निवास स्थान, और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र है। यद्यपि नियमगिरि (ओडिशा) का मामला भौगोलिक रूप से कोंडागांव से भिन्न है, वहाँ के डोंगरिया कोंध और कुटिया कोंध समुदायों के संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि जनजातीय समुदाय अपने पवित्र वनों के लिए कितना संघर्ष कर सकते हैं। उनकी माँग थी कि वन अधिकारों को पहचानें, जैसा कानून ने वादा किया है, जिसमें सामुदायिक वन अधिकार और व्यक्तिगत वन अधिकार दोनों शामिल थे। कोंडागांव में भी इसी प्रकार की सांस्कृतिक आस्थाएँ हैं। ग्रामीण देवताओं, वन देवताओं, और प्राकृतिक स्थलों (जलप्रपात, गुफाएँ, पहाड़ियाँ) की पूजा की जाती है।

5.2 सामुदायिक वन अधिकार (CFR)

Forest Rights Act (FRA) 2006 की धारा 5 के तहत, ग्राम सभा को वनों और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। सामुदायिक वन अधिकार (CFR) का अर्थ है कि पूरा गाँव सामूहिक रूप से अपने पारंपरिक वन क्षेत्रों का प्रबंधन कर सकता है, वहाँ से उत्पाद एकत्र कर सकता है, और उनकी बिक्री कर सकता है। हालाँकि कोंडागांव में CFR के कार्यान्वयन पर विशिष्ट अध्ययन सीमित हैं, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के जबर्रा गाँव का उदाहरण प्रासंगिक है। वहाँ के कमर जनजातीय समुदाय को CFR प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें 5,352 हेक्टेयर वन का प्रबंधन अधिकार मिला। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई। कोंडागांव में भी इसी प्रकार की प्रक्रियाएँ चल रही हैं, यद्यपि गति धीमी है।

5.3 महिलाओं की भूमिका

वनोपज संग्रहण में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। तेंदूपत्ता, महुआ फूल, इमली, और औषधीय पौधों का संग्रहण मुख्यतः महिलाएँ करती हैं। स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ वनोपज का मूल्य संवर्धन भी कर रही हैं। पर्यटन स्थलों पर भोजन सेवाएँ भी महिला SHG संभाल रही हैं। हालाँकि, एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि महिलाओं पर "दोहरा श्रम" का बोझ है वे दिन में वनों में काम करती हैं, और फिर अस्थाई पुलों या अन्य ग्रामीण निर्माण कार्यों में भी योगदान देती हैं।

6. नीतिगत ढाँचा- Forest Rights Act 2006 और उसका कार्यान्वयन

6.1 FRA 2006 के मुख्य प्रावधान

Forest Rights Act 2006 (जिसे Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 भी कहा जाता है) एक ऐतिहासिक कानून है जो वनवासी समुदायों के उन अधिकारों को मान्यता देता है जिन्हें वर्षों से अस्वीकार किया गया था। इस अधिनियम की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि वनवासियों को उनके पैतृक वनों में अतिक्रमणकारी का लेबल लगा दिया गया था, जो एक ऐतिहासिक अन्याय था।

प्रमुख प्रावधान-

- व्यक्तिगत अधिकार - पारंपरिक रूप से खेती की जाने वाली भूमि पर अधिकार
- सामुदायिक अधिकार - सामूहिक वन प्रबंधन, NTFP संग्रहण और विक्रय का अधिकार
- निवास और विस्थापन अधिकार- अवैध विस्थापन से सुरक्षा और पुनर्वास का अधिकार
- सांस्कृतिक अधिकार- धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा स्थलों, और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुँच का आधार
- ग्राम सभा की सशक्त भूमिका- अधिकारों के दावों की सिफारिश करने, सत्यापन करने, और वनों के संरक्षण का अधिकार

6.2 नियमगिरि का ऐतिहासिक मिसाल

यद्यपि नियमगिरि (ओडिशा) में वेदांता खनन मामला कौंडागांव से भिन्न है, इसने FRA की शक्ति को सिद्ध किया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम सभा के फैसले को अंतिम माना, तो 12 ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से खनन के पक्ष में मतदान करने से इनकार कर दिया। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि समुदाय पहाड़ियों पर नहीं रहता, इसका मतलब यह नहीं कि उनके वहाँ कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला FRA की "गेम-चेंजिंग" प्रकृति को दर्शाता है इसने पर्यावरण मंत्रालय की एकतरफा शक्तियों को सीमित कर दिया।

6.3 कौंडागांव में FRA की स्थिति

कौंडागांव जिले में FRA के कार्यान्वयन की स्थिति मिश्रित रही है। जहाँ एक ओर, दावों के निपटान की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर, नियमगिरि जैसे सशक्त उदाहरणों की तुलना में यहाँ जनजागरूकता कम है। निम्न साक्षरता दर (57.31%) और दूरदराज के क्षेत्रों में सूचना की कमी के कारण, कई पात्र परिवारों ने अभी तक अपने अधिकारों का दावा नहीं किया है।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, कौंडागांव सहित पूरे बस्तर संभाग में FRA दावों के निपटान की गति धीमी रही है। इसका एक कारण वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय की कमी भी है।

7. उभरते अवसर- इको-टूरिज्म और स्थानीय पहल

7.1 केशकाल का पर्यटन मॉडल

कौंडागांव जिले का केशकाल क्षेत्र, जो कभी नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात था, अब एक उभरता पर्यटन स्थल है। स्थानीय प्रशासन ने 'पर्यटन समितियों' का गठन किया, जिसमें प्रत्येक गाँव के स्थानीय युवाओं को जिम्मेदारी दी गई।

सफलता के आँकड़े

| जलप्रपात | गाँव | पर्यटक संख्या | 3 माह में संग्रहित राशि |
|------------|----------|---------------|-------------------------|
| • कटुलकासा | होन्हेद | 1500 | 3000 |
| • कोडाकल | कुयेमारी | 2250 | 7000 |
| • टाटामारी | केशकाल | 10000 | 15000 |

7.2 स्थानीय समुदायों की भूमिका

होन्हेद गाँव में, 50 परिवारों में से प्रत्येक से एक सदस्य इस पर्यटन समिति का हिस्सा है। छह लोग रोटेशन पर तैनात रहते हैं। समिति प्रवेश शुल्क (वयस्क ₹10, बच्चे ₹5) वसूलती है और यह राशि सीधे समिति के खाते में जाती है। इस राशि का उपयोग सड़क मरम्मत, पार्किंग, और अन्य सुविधाओं में किया जाता है।

7.3 चुनौतियाँ- सुरक्षा और अवसंरचना

इस पर्यटन मॉडल के बावजूद, यह क्षेत्र अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मार्च 2021 में, नक्सलियों ने कुयेमारी में सड़क निर्माण में लगे 12 वाहनों को जला दिया था। जून 2020 में, होन्हेद के पास एनकाउंटर में दो नक्सली मारे गए थे। फिर भी, पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं आई जो इस क्षेत्र की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

कोंडागांव के पूर्व कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के अनुसार, "पहले केशकाल वन का नाम सुनते ही नक्सली हिंसा की तस्वीरें उभरती थीं, लेकिन अब यह धारणा धीरे-धीरे बदल रही है"

8. चुनौतियाँ और बाधाएँ

8.1 अवसंरचनात्मक कमियाँ

वन संपदा पर निर्भरता के बावजूद, जनजातीय समुदायों को बाजार तक पहुँचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धमतरी जिले (कोंडागांव के निकट) के जबर्रा गाँव का उदाहरण अत्यंत प्रासंगिक है-

- गाँव के 102 परिवार CFR अधिकार प्राप्त कर चुके हैं
- मालू पत्ता, महुआ फूल, सफेद मूसली एकत्रित करते हैं
- बाजार तक पहुँचने के लिए हर साल काजल नदी पर अस्थाई पुल बनाना पड़ता है
- इस निर्माण पर प्रति वर्ष ₹40,000 से ₹50,000 खर्च होते हैं
- प्रति परिवार औसत मासिक आय ₹6,000 (वनोपज) + अतिरिक्त आय (अनियमित)
- अस्थाई पुल बनाने में प्रति परिवार ₹500 का योगदान है |

जबर्रा के एक निवासी, माधव सिंह मरकाम बताते हैं कि उनकी आय में वृद्धि हुई है, लेकिन यह आय बाजार तक पहुँचने के खर्च में चली जाती है। कोंडागांव के कई दूर-दराज गाँवों में भी यही स्थिति है।

8.2 मध्यस्थों का शोषण

MSP योजना के बावजूद, सभी वनोपज सरकारी खरीद के दायरे में नहीं आते। 80% वनोपज का विक्रय स्थानीय साप्ताहिक हाटों में होता है, जहाँ मध्यस्थ कम दाम देते हैं। केवल 20% खरीद सरकारी तंत्र द्वारा होती है।

8.3 वनों पर बढ़ता दबाव

जनसंख्या वृद्धि, विकास परियोजनाएँ (सड़कें, बाँध), और खनन गतिविधियाँ वनों पर दबाव बढ़ा रही हैं। हालाँकि कोंडागांव में खनन का बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर भी वनों के दोहन का खतरा बना रहता है। Forest Conservation Amendment Act 2023 के संशोधनों ने चिंता बढ़ा दी है कि कहीं "वन" की परिभाषा संकीर्ण न हो जाए, जिससे सामुदायिक वनों का दोहन आसान हो जाए।

8.4 सीमित मूल्य संवर्धन

जनजातीय समुदाय अधिकतर कच्चे माल के रूप में ही वनोपज बेचते हैं। प्रसंस्करण, पैकेजिंग, और ब्रांडिंग का कौशल सीमित है। उदाहरण के लिए, महुआ फूल से जैम, सिरप, और औषधियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन यह मूल्य संवर्धन अभी व्यापक नहीं है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन गति धीमी है।

9. निष्कर्ष और सिफारिशें

9.1 निष्कर्ष

इस शोधपत्र में कोंडागांव जिले के जनजातीय समुदायों के जीवन यापन में वन संपदा के योगदान का विश्लेषण किया गया है। निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष हैं-

- वन संपदा जनजातीय परिवारों की कुल आय का 60-65% योगदान देती है, जो इसे उनके जीवन यापन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है।
- MSP योजना का कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रभावी रहा है, कोंडागांव इसका लाभान्वित जिला है। तैदूपता समर्थन मूल्य में 37.5% की वृद्धि (₹4,000 से ₹5,500 प्रति बैग) सराहनीय है।
- Forest Rights Act 2006- के कार्यान्वयन से सामुदायिक वन अधिकार (CFR) प्राप्त करने वाले गाँवों में आय में वृद्धि देखी गई है, हालाँकि कोंडागांव में इसकी गति धीमी है।
- इको-टूरिज्म केशकाल क्षेत्र में एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है, जहाँ स्थानीय पर्यटन समितियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय है।
- अवसंरचनात्मक कमियाँ और मध्यस्थों का शोषण अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, जो वन संपदा को प्रभावी आधारभूत कड़ी बनने में बाधक हैं।

तदनुसार, यह निष्कर्ष निकलता है कि वन संपदा और जनजातीय जीवन यापन के बीच का संबंध वास्तव में आधारभूत कड़ी है, लेकिन यह कड़ी नीतिगत सहायता, अवसंरचना, और क्षमता निर्माण के अभाव में कमजोर पड़ रही है।

9.2 सरकार और प्रशासन के लिए सिफारिशें

- **FRA कार्यान्वयन में तेजी लाएँ-** कोंडागांव के सभी पात्र गाँवों में CFR दावों का त्वरित निपटान करें। ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएँ।
- **अवसंरचना विकास-** दूरदराज वन गाँवों को बाजारों से जोड़ने के लिए स्थायी सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाय। जबर्रा जैसे गाँवों की समस्या का समाधान अत्यावश्यक है।
- **MSP योजना का विस्तार-** सभी NTFP को MSP के दायरे में लाएँ। वर्तमान में केवल सीमित उत्पाद ही कवर हैं। अधिक संग्रहण केंद्र स्थापित करें ताकि विक्रेताओं को दूर न जाना पड़े।
- **मूल्य संवर्धन केंद्र-** जिला स्तर पर लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करें, जहाँ महुआ, हरी, बहेड़ा, और अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण हो सके। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और आय भी।
- **डिजिटल सशक्तिकरण-** Atal Digital Seva Kendras का विस्तार किया जा ताकि वनवासी ऑनलाइन MSP पंजीकरण, ऑनलाइन भुगतान, और बाजार मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- **शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए**
- **क्षेत्रीय अध्ययन-** कोंडागांव के विभिन्न ब्लॉकों (केशकाल, कोंडागांव, फरसगाँव, माकड़ी, बड़े राजपुर) में तुलनात्मक अध्ययन किया जाये ताकि क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियाँ पहचानी जा सकें।
- **NTFP इन्वेंटरी-** जिले की जैव विविधता की व्यापक इन्वेंटरी तैयार करें और प्रत्येक प्रजाति के संरक्षण की स्थिति का आकलन करें।
- **जनजातीय समुदायों के लिए-**
- **सहकारी समितियों का सशक्तिकरण-** वनोपज संग्रहणकर्ता सहकारी समितियों को मजबूत करें ताकि वे सीधे बाजारों से जुड़ सकें और मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो सके।
- **पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण-** वनों से जुड़े पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (Traditional Ecological Knowledge) का दस्तावेजीकरण करें और उसे संरक्षित करें।

9.3 भविष्य के शोध के लिए दिशा-निर्देश

इस अध्ययन ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को स्पर्श किया है जहाँ गहन शोध की आवश्यकता है:

- **लंबी अवधि का अनुदैर्ध्य अध्ययन-** MSP योजना के दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन, जिसमें परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि हुई या नहीं, इसका आकलन किया जाए।

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव-** कोंडागांव के वन और NTFP उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मॉडलिंग अध्ययन।
- **इको-टूरिज्म का सामाजिक प्रभाव** - केशकाल के पर्यटन मॉडल ने आर्थिक लाभ तो दिया है, लेकिन इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? क्या यह जनजातीय संस्कृति का संरक्षण कर रहा है या उसका व्यावसायीकरण?
- **लिंग और वन प्रबंधन-** महिलाओं की वन प्रबंधन में भूमिका का गहन अध्ययन करना कि क्या वास्तव में उन्हें CFR समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है

10. संदर्भ सूची

- ईपीएफएल ग्राफ सर्च (EPFL Graph Search). (तिथि अनुपलब्ध). कोंडागांव जिला. <https://graphsearch.epfl.ch/en/concept/40971787>.
- गैर-लकड़ी वन उत्पाद: छत्तीसगढ़, भारत के कोंडागांव वन प्रभाग में जनजातीय अर्थव्यवस्था का एक मार्ग. (2023). प्लांट आर्काइव्स (Plant Archives). <https://doi.org/10.51470/PLANTARCHIVES.2023.V23.NO2.064>.
- इंडिया एनवायरनमेंट पोर्टल (India Environment Portal). (2010, सितंबर 8). नियमगिरि और वन अधिकार अधिनियम. <http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/blogs/niyamgiri-and-forest-rights-act>.
- ट्राइफेड (TRIFED). (2026, मार्च 15). सरकार द्वारा लघु वनोपज की खरीद सर्वकालिक उच्च स्तर पर, जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा. <https://trifed.tribal.gov.in/node/925>
- विकिवंड (Wikiwand). (2020). कोंडागांव जिला. https://www.wikiwand.com/en/articles/Kondagaon_district
- वैड्स आईसीएस (Vaid's ICS). (2025, दिसंबर 24). नियमगिरि: डोंगरिया कोंध, खनन और वन अधिकार. <https://vaid'sics.com/blog/odishas-dongria-kondh-take-on-corporate-mining-the-niyamgiri-forest-fight>
- द स्टेट्समैन (The Statesman). (2025, मई 15). छत्तीसगढ़ का हरित स्वर्ण जनजातीय सामर्थ्य और सतत विकास को शक्ति प्रदान करता है. <https://www.thestatesman.com/india/chhattisgarhs-green-gold-powers-tribal-resilience-and-sustainable-growth-1503433485.htm>
- द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times). (2021, दिसंबर 12). नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ का वन पर्यटन केंद्र में बदल रहा, आदिवासियों को आजीविका के नए साधन दे रहा <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/naxal-hit-chhattisgarh-forest-turning-into-tourism-hub-offering-new-means-of-livelihood-to-tribals/articleshow/88235463.cms>
- डाउन टू अर्थ (Down To Earth). (2026, मार्च 1). छत्तीसगढ़ में एक सदियों पुराना पुल. <https://www.downtoearth.org.in/governance/a-bridge-across-forever-in-chhattisgarh>
- मनीकंट्रोल (Moneycontrol). (2021, दिसंबर 12). नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ का वन पर्यटन केंद्र में बदल रहा, आदिवासियों को आजीविका के नए साधन दे रहा. <https://www.moneycontrol.com/news/india/naxal-hit-chhattisgarh-forest-turning-into-tourism-hub-offering-new-means-of-livelihood-to-tribals-7816091.html>